राज्य लोक सेवा अभिकरण, म.प्र. (SAPS-MP)

(मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग की पंजीकृत संस्था)

State Agency for Public Service, M.P.

(A Regd Agency of Govt. of M.P. Under Deptt. of Public Service Management)

पत्र क्रमांक– 414 /2019/रालोसेअ/प्रशासन भोपाल, दिनांक 23 /03/2019

प्रति,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
17, अरेरा हिल्स, भोपाल
मध्यप्रदेश |

विषय:- लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार में हो रहे लोक सेवा केन्द्रों के टेंडर की प्रक्रिया आचार संहिता के बाद किये जाने विषयक |

संदर्भ:- आपके कार्यालय का पत्र क्र 4645 दिनांक 15/03/2019.

---000---

विषयानुसार संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें | संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री सुरजीत ठाकुर प्रभात कुमार द्वारा की गयी शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा यह उल्लेख किया है कि मध्य प्रदेश सरकार के लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा लोक सेवा केन्द्रों हेतु जारी टेंडर प्रक्रिया अंतर्गत टेक्निकल एवं फाइनेंसियल बिड को लोकसभा की आचार संहिता के बाद खोले जाने के निर्देश जारी किये गए हैं । उक्त अनुक्रम में शिकायतकर्ता द्वारा टेंडर के आवेदन पत्र जमा करने की तिथि को 3 अप्रैल'19 के निर्देश भी रोकने का लेख करते हुए अनुरोध किया है कि टेंडर फार्म जमा करने की दिनांक एवं टेक्निकल बिड खोलने की दिनांक को एक ही रखा जाए |

उल्लेखनीय है लोक सेवा केन्द्रों की टेंडर प्रक्रिया अंतर्गत विज्ञापन एवं आरएफपी/टेंडर आचार संहिता प्रारंभ होने के पूर्व ही जारी किया जा चुका था । विभाग द्वारा उपरोक्त शिकायत को द्रष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि लोक सेवा केन्द्रों के टेंडर फार्म जमा करने की तिथि को भी बढाया जा कर 25 मई'2019 (दोपहर 03:00 बजे तक) किया जाता है । साथ ही तकनीकी निविदा भी दिनांक 25 मई'2019 (दोपहर 04:00 बजे) खोली जावेगी | अत: शिकायतकर्ता को उपरोक्त निष्कर्ष से अवगत कराने का कष्ट करें।

(बी. चंद्रशेखर) 23/3/19
कार्यपालन संचालक
राज्य लोक सेवा अभिकरण

पृ.क्रमांक– 415 /2019/रालोसेअ/प्रशासन भोपाल, दिनांक 23/03/2019

1. प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित |
2. कलेक्टर, जिला-समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित |
3. जिला प्रबंधक(लोक सेवा), जिला-समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्त निर्देश के अनुक्रम में जिला स्तर से टेंडर के सन्दर्भ में संशोधन (Corrigendum) जारी करने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |

कार्यपालन संचालक
राज्य लोक सेवा अभिकरण